भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4453
उत्तर दिनांक 02/04/2026 को दिया गया

पंजाब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

4453. श्री सतनाम सिंह संधू

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) पंजाब राज्य को कोयला-आधारित ऊर्जा पर निर्भरता से मुक्त करने के उद्देश्य से पटियाला में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा की जा रही व्यवहार्यता समीक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि पटियाला अव्यवहार्य पाया जाता है, तो क्या पंजाब में अन्य वैकल्पिक स्थलों का आकलन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने परमाणु सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव, विशेषकर परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) अधिनियम, 2025 तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के उपरांत, जन-चिंताओं का संज्ञान लिया है; और

(घ) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा की जाने वाली निगरानी सहित सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनविश्वास बढ़ाने के लिए प्रस्तावित जन-जागरूकता उपाय और संस्थागत सुरक्षा उपाय क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) वर्तमान में पटियाला, पंजाब में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वर्तमान में पंजाब राज्य में किसी भी स्थल का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। पंजाब के पटियाला जिले में पतरान में एक स्थल का मूल्यांकन प्रारंभिक 2000 दशक में किया गया था और इसे 4 X 700 मेगावाट क्षमता वाले नाभिकीय बिजलीघर की स्थापना के लिए संभावित पाया गया था। हालाँकि, तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में सूचित किया था कि इस संदर्भ में एक नीतिगत निर्णय लिया जाना बाकी है। या तो वही स्थल या वैकल्पिक स्थल, यदि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं, तो डीएई की स्थायी स्थल चयन समिति (एसएससी) द्वारा उन स्थलों की संभाव्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।

(ग) व (घ) हां, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एनपीसीआईएल, विश्वसनीय तरीके से नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जागरूकता प्रसार के लिए देश में सुव्यस्थित जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित

कर रहा है। जनसंपर्क कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आम जनता के अलावा छात्रों और शिक्षकों, स्थानीय समुदाय, निर्णय निर्माताओं और जनप्रतिनिधियों, प्रेस और मीडिया और मत निर्माताओं पर केंद्रित रहा है। वर्तमान में, बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत रूप से जन संपर्क गतिविधियां की जा रही हैं। इन गतिविधियों में विद्यालयों और महाविद्यालयों का दौरा, एनसीसी शिविर, स्थलों का दौरा, विज्ञान केंद्रों का दौरा, प्रदर्शनियाँ, व्याख्यान / सेमिनार और विविध पहलें शामिल हैं। इन प्रयासों में उचित जन जागरूकता सामग्री का निर्माण और सभी लक्षित समूहों में प्रसार शामिल है।

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने विकिरण और नाभिकीय संरक्षा से संबंधित मामलों पर जागरूकता प्रसार और जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए जन संपर्क कार्यक्रम निर्धारित किया है। एईआरबी एनपीपी और विकिरण सुविधाओं के आस-पास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे जनता के साथ संवाद स्थापित किया जा सके, और विकिरण संरक्षा विनियमन के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जा सके। एईआरबी विकिरण और नाभिकीय संरक्षा मामलों से संबंधित अपना त्रैमासिक ई-समाचार पत्र, वार्षिक रिपोर्ट और सभी प्रासंगिक जानकारी भी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है। एईआरबी नाभिकीय और विकिरण संरक्षा से संबंधित मामलों पर प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी करता है।

*****